न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04 / 2024

प्रविष्टि दिनांक 02.07.2024

जरिये रामभजन मीना, प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 भारद्वाज होटल रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने एन.एच–12 निवाई शहर टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक** 09.10.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक दिनांक 19.06.2024 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक,प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै. भारद्वाज होटल, रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने, एनएच–12 निवाई शहर टोंक पर व्यवसाय स्थल की जाँच की गई। मौके पर होटल मालिक श्री मदन लाल शर्मा उपस्थित पाये गये जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण कार्य किया गया। होटल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में भोजन /मिठाई बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर व्यवसायी के होटल परिसर की तलाशी में 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रख पाये गये जिनके भण्डारण बाबत व्यवसायी से आवश्यक दस्तावेज मांगे गये जो प्रस्तुत नहीं किये गये तथा अवैध भण्डारण एवं उपयोग बाबत कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग ईधन के रूप में विभिन्न खाद्य सामग्री का निर्माण करना पाये जाने पर तथा अवैध रूप से भण्डारण करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मौके पर जब्त किये गये तथा फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	319173 T	HP	14.2	16.0	39.8	13.8
02	95887 P	HP	14.2	16.2	30.0	13.8
03	357618 L	HP	14.2	15.9	15.9	0
04	256147 S	HP	14.2	15.6	26.06	10.4
		योग				38.00

अतःउक्त जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 38 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक दिनांक 19.06.2024 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक,बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै. भारद्वाज होटल, रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने, एनएच–12 निवाई शहर टोंक पर व्यवसाय स्थल की जाँच की गई। मौके पर होटल मालिक श्री मदन लाल शर्मा उपस्थित पाये गये जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण कार्य किया गया। होटल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में भोजन /मिठाई बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर व्यवसायी के होटल परिसर की तलाशी में 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रख पाये गये जिनके भण्डारण बाबत व्यवसायी से आवश्यक दस्तावेज मांगे गये जो प्रस्तुत नहीं किये गये तथा अवैध भण्डारण एवं उपयोग बाबत कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग ईधन के रूप में विभिन्न खाद्य सामग्री का निर्माण करना पाये जाने पर तथा अवैध रूप से भण्डारण करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मौके पर जब्त किये गये तथा फर्द अभिग्रहण तैयार की गई।

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर भोजन/मिठाई बनाने में इंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है। उक्त जप्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 38 Kg एलपीजी जप्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु प्रतीक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री हेमराज पुत्र श्री लल्लूराम की सुपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नहीं करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया है।अतः उक्त जब्तशुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 38 Kg एलपीजी को आवश्यक

जिला कलेक्टर
टोंक

वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 19.06.2024 के अनुसार मै. भारद्वाज होटल रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने एन.एच–12 निवाई शहर टोंक कि होटल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 04 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर भोजन/मिठाई बनाये जा रही थी। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस . आर . नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	319173 T	HP	14.2	16.0	39.8	13.8
02	95887 P	HP	14.2	16.2	30.0	13.8
03	357618 L	HP	14.2	15.9	15.9	0
04	256147 S	HP	14.2	15.6	26.06	10.4
		योग				38.00

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर होटल/दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर भवंरसिंह,सीताराम तथा हेमराज के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी भवंरसिंह,सीताराम तथा हेमराज के हस्ताक्षर है तथा प्रतीक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री हेमराज के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से मिठाई/भोजन बनाने का कार्य कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 04 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 38 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक
कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)